

घोषणा

(पैरा-4 में संदर्भित स्थाई आदेश –कल्याण 2/2022)

में _____ पद _____

संख्या _____ एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं स्वेच्छा से दिल्ली पुलिस कल्याण समिति का सदस्य बन गया हूं और समय-समय पर समिति की प्रबंध समिति द्वारा तय की गई दर पर इस समिति को अंशदान देने के लिए सहमत हूं। अंशदान मेरे मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निर्वाह भत्ता से काट लिया जाये। मैं समिति के नियमों और विनियमों से बंधा रहूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

अनुप्रमाणित

दिल्ली पुलिस कल्याण समिति -1990 के तहत लाभ के लिए नामांकन

(जब सरकारी कर्मचारी का परिवार हो और वह उसके एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता हो)

मैं _____ पद _____

संख्या _____ पिता का नाम _____ एतद्वारा नीचे नामित करता हूं जो मेरे परिवार के सदस्य है/हैं और दिल्ली पुलिस कल्याण समिति-1990 के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जा सकने वाली किसी भी राशि को नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, सेवा के दौरान मेरी मृत्यु की स्थिति में या जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर मेरी मृत्यु तक, देय राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता/करती हूं:-

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता	सरकारी कर्मचारी से संबंध	आयु	प्रत्येक को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा	सरकारी सेवक द्वारा मृत्युपूर्व नामित किये व्यक्ति के बाद जिन व्यक्तियों को अधिकार होगा उन व्यक्तियों के नाम, सम्बन्ध व पता, यदि कोई हो,

टिप्पणी:- सरकारी सेवक को अपने अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर एक रेखा खींच देनी चाहिए ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी नाम को सम्मिलित करने से रोका जा सके।

* इस कॉलम को इस प्रकार भरा जाना चाहिए ताकि कल्याण सोसायटी के तहत देय होने वाली पूरी राशि को कवर किया जा सके।

** जहां एक सरकारी कर्मचारी जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, वह अपने कॉलम में निर्दिष्ट करेगा कि उसके बाद परिवार होने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा।

आज दिनांक _____ के दिन ___/202__ नई दिल्ली में।

दो गवाहों के हस्ताक्षर:-

1. हस्ताक्षर _____
पूरा नाम _____
पता _____

2. हस्ताक्षर _____
पूरा नाम _____
पता _____

दिनांक

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

स्वीकृत

पुलिस उपायुक्त